(ख) इन्दौर बाईपास का निर्माण, द्वितीय राष्ट्रीय राजमार्ग विश्व बैंक ऋण के अंतर्गत किए जाने का प्रस्ताव है। इस प्रयोजनार्थ विश्व बैंक के साथ बातचीत पूरी हो चुकी है, किन्तु ऋण पर अभी बैंक द्वारा हस्ताक्षर किए जाने शेष हैं। इस बीच, परियोजना को प्रशासनिक मंजूरी दे दी गई है लेकिन बोली लगाने संबंधी कार्य-प्रणाली को विश्व बैंक के सहयोग से अभी अंतिम रूप दिया जाना है। अतः काम शुरू होने की संभावित तारीख बता पाना अभी संभव नहीं है।

Personnel for Ships

2232. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item which appreared in the Financial Express dated the 28th February, 1992 to the effect that our shipping is stagnating for want of personnel to run the ships; and

(b) if so, what are the details thereof and what steps Government have taken to meet the situation?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) Yes, Sir.

(b) The news paper article mainly speaks of shortage of engineering officers for manning ships of Indian owners as well as foreign owners represented by Foreign Owners Ship Managers Association. There is some shortage of personnel mainly due to buoyancy in Shipping Industry since 1987, following a long period of recession. The following steps have been taken to meet the shortage:

(1) Intake of cadets in pre-sea training institutions has been increased to the full capacity from 1988 onwards.

(2) Special scheme for training science and engineering graduates as officers has been sanctioned to the Shipping Corporation of India.

(3) Indian Shipping Companies have been advised to consider recruiting and training engineers.

(4) Indian Shipping Companies are permitted to take direct entry deck apprentices and workshop trained apprentices.

(5) Issue of continuous discharge certificate (CDC) has been restricted to officers who want to join Indian ships. CDC is refused to those who initially desire to join a foreign flag vessel except in those cases where the officers have been trained by agents of foreign companies at their cost.

(6) The Director General of Shipping has given special dispensation for temporary period in appropriate cases from statutory manning requirements.

(7) Shipping Companies have been given special dispensation by permitting them to employ officers above the age of 60 years subject to their medical fitness for sea service, for a period of 6 months which could be extended, subject to a maximum limit of 62 years.

(8) A Committee on Maritime Education and Training has been constituted, to review, among other, the existing arrangements for maritime training.

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन सैक्टरों का निजीकरण

2233. **मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन विभिन्न सैक्टरों का निजीकरण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

(i) **सड़क:** सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण कार्यों में निजी क्षेत्रों को शामिल करने पर विचार कर रही है। इसकी एक पूर्व-अपेक्षा है-राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 में संशोधन करना, जो अभी किया जाना है।

(ii) **सड़क परिवहन:** जन परिवहन प्रणाली के बहुत से क्षेत्रों में निजी क्षेत्र पहले से ही भाग ले रहा है। देश में लगभग दो तिहाई यात्री बसें निजी प्रचालकों के स्वामित्व में है

और उनके द्वारा प्रचालित हैं। सम्पूर्ण माल परिवहन उद्योग भी निजी क्षेत्र में ही है।

(iii) पत्तन: बहुत सी सेवायें जैसे स्टीवडोरिंग, कार्गो की क्लियरिंग और फारवर्डिंग, उपस्करों की आपूर्ति, पहले से ही पत्तन क्षेत्र में निजी एजेंसियों के पास हैं। अतिरिक्त सुविधाएं स्थापित करने के लिए निजी सहभागिता की संभावना की भी जांच की जा रही है। तथापि, प्रत्येक प्रस्ताव को उसके गुण-दोषों के आधार पर मंजूरी दी जाएगी।

(iv) नौवहन और जहाज निर्माण: जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत के उद्योग में निजीकरण को पहले ही अनुमति दी जा चुकी है।

भारतीय नौवहन निगम के मामले में 261.23 करोड़ रु० की 10.34 तक इक्विटी वित्तीय संस्थाओं/म्युचुअल फन्डों को दे दी गई है।

पब्लिक स्कूलों द्वारा दिल्ली परिवहन निगम की बसों का किराये पर लेना

2234. **श्री कपिल वर्मा:**
डा० फागुनी राम:
श्रीमती वीणा वर्मा:

क्या जल-थलसेना परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम की बसों को दिल्ली में निजी (पब्लिक) स्कूलों के विद्यार्थियों को लाने-ले-जाने के काम में लगाया गया है; यदि हां, तो ऐसी बसों की संख्या कितनी है;

(ख) इस सेवा के लिए विद्यार्थियों से प्रति माह कितना बस किराया प्रभार लिया जाता है और उक्त किरायों के लिए जाने के क्या आधार हैं;

(ग) इन स्कूलों द्वारा इन बसों का एक वर्ष में कितने दिन प्रयोग किया जाता है और दिल्ली परिवहन निगम को कितने दिन का किराया दिया जाता है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि दिल्ली परिवहन निगम को इन स्कूलों में बस लगाने से प्रति माह करोड़ों रुपये घाटा होता है; यदि हां, तो यह घाटा कितना है और इसके क्या कारण हैं?

जल-थलसेना परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) जी, हां। छात्रों को लाने-ले जाने के लिए विभिन्न स्कूलों को 662 बसें किराए पर दी गई हैं।

(ख) और (ग) छात्रों से कोई मासिक किराया नहीं लिया जा रहा है। दिल्ली परिवहन निगम और स्कूल प्राधिकारियों के साथ हुए करार के अनुसार स्कूल प्राधिकारियों द्वारा दिल्ली परिवहन निगम को प्रचालित कुल किलोमीटर पर 4.50 प्रति किलो मीटर का भुगतान किया जा रहा है। स्कूलों द्वारा एक वर्ष में लगभग 210 दिन के बसों का उपयोग किया जा रहा है।

(घ) स्कूलों द्वारा दिल्ली परिवहन निगम की बसें लिए जाने के कारण जनवरी, 1992 महीने के दौरान दिल्ली परिवहन निगम को लगभग 24 लाख रु० का घाटा हुआ। घाटे का कारण था 4.50 रु० किलोमीटर की दर पर प्रभार लिया जाना, जबकि कुल लागत 7.87 रु० प्रति किलोमीटर आती है।

Reconsideration of Fare Hike by DTC

2235. CHOWDHRY HARI SINGH: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be please to state:

(a) whether Government propose to reconsider the recent revision of fares by DTC in view of the recent agitations held against the same;

(b) the number of buses being actually run by DTC to cater to the need of the commuters in Delhi; and

(c) the approximate revenue being earned by the DTC as a result of the recent hike in fares?

THE MINISTER OF STATE OF MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER) (a) No, Sir.

(b) As on 20-2-1992, DTC had a fleet of 4378 buses.

(c) In January, 1992 DTC earned a revenue of Rs. 1,623.70 lakhs.

STATEMENT BY MINISTER

Correcting the reply given in the Rajya Sabha on the 26th February, 1992 10 Unstarred Question 386 regarding increase in fleet of D.T.C.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): Mr. Chairman, the English version of the reply to part (d) of Rajya Sabha Unstarred Question No. 386 answered on 26-2-1992 may please be substituted by the following:

"As on 20-2-1992 DTC had a fleet of 4378 'buses'. There is no proposal to increase the fleet of DTC [Placed in Library *See* N.L.T. 1526/92]

(The Deanjty Chairman in the chair)